



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244038
CG-DL-E-02032023-244038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944

No. 920]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

का.आ. 957(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम(एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 2650(अ), दिनांक 9 जून, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अधिनियम की धारा (8) की संदर्भित उपधारा	कार्यकाल
1.	श्री शामलभाई बालाभाई पटेल, अध्यक्ष, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, गुजरात	निदेशक	8 (2) (सी)	अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष तक या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, गुजरात के अध्यक्ष के रूप में रहने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

[फा. सं. एम-03017/1/2022-प्रशा०-4]

के पी जे जराल्ड, निदेशक

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. सं. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1-32 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605(अ) दिनांक 2.9.96, का. आ. सं. 678(अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836(अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156(अ) दिनांक 10.3.99, का. आ. सं. 755(अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656(अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077(अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212(अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826(अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461(अ) दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738(अ) दिनांक 10/11.1.;2007, का. आ. सं. 1503(अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658(अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. 168(अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779(अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. 97(अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141(अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697(अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341(अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451(अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076(अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 3132(अ) दिनांक 9.10.2015, का. आ. सं. 1076(अ) दिनांक 12 मार्च, 2016, का. आ. सं. 1674(अ) दिनांक 03.05.2016, का. आ. सं. 684(अ) दिनांक 28.02.2017, का. आ. सं. 1869(अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. 3774(अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. 1393(अ), दिनांक 27.03.2018, का. आ. 5344(अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का. आ. 1860(अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. 2099(अ), दिनांक 19 जून, 2019, का. आ. 4352(अ), दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. 1451(अ), दिनांक 08 मई, 2020 और का. आ. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021, का. आ. 2673 (अ), दिनांक 02 जुलाई, 2021, का. आ. 3258 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021, का. आ. 5477(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा का. आ. 2650(अ), दिनांक 9 जून, 2022 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

S.O. 957(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates with immediate effect the following person to be the Director on the Board of Directors of National Dairy Development Board, for the period indicated against the name and for that purpose makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying S.O.No. 2650(E) dated 09th June, 2022:-

S. No.	Name	Designation	Relevant sub-section of section 8 of the Act.	Tenure
1.	Shri Shamalbhai Balabhai Patel, Chairman, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd., Gujarat	Director	8 (2) (c)	One year from the date of notification OR Upto the period as Chairman, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd., Gujarat. OR till further orders, Whichever is earliest.

[F. No. M-03017/1/2022-Admin-4]

K P J GERALD, Director

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-

1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001, S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7.2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O.No.3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O.No.3132(E) dated 9-10- 2015, S.O. No 1076 (E)) dated 12-03-2016, S.O. No 1674 (E) dated 03-05-2016, S.O.No.684(E) dated 28.02.2017, S.O.No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O.No.1393(E) dated 27th March, 2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860(E) dated 27th May, 2019, S.O.No.2099(E) dated 19th June, 2019, S.O.No.4352(E) dated 04th December, 2019 and S.O.No.1451(E) dated 8th May, 2020, S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021, S.O. No. 2673(E) dated 02.07.2021, S.O.No.3258(E) dated 11th, Aug, 2021, S.O.No. 5477(E) dated 30th December, 2021 and S.O.No. 2650(E) dated 09th June, 2022.